संख्याः 709 /1–10–2011–33(431)/11

प्रेषक,

के0 के0 सिन्हा,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊः दिनांकः 30 मार्च, 2012

विषयः वर्ष 2011–12 में जनपद सोनभद्र के पेयजल संकट ग्रस्त ग्रामों में टैंकर द्वारा की गयी जलापूर्ति पर होने वाले व्यय के प्रतिपूर्ति हेतु धनावंटन के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–233/मु0रा0ले0–दै0आ0–2009–10, दिनांक 17.03.2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2011–12 में पेयजल संकट ग्रस्त ग्रामों में टैंकर द्वारा की गयी जलापूर्ति पर होने वाले व्यय के प्रतिपूर्ति हेतु रू0 1,06,89,000/– व ट्रैक्टर मरम्मत मद में रू0 2,224/– अर्था कुल धनराशि रू0 1,06,91,224/–(रूपये एक करोड़ छः लाख इक्यानवे हजार दो सौ चौबीस मात्र) आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2 उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03 –आपदा राहत निधि से व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. उक्त धनराशि केवल पेयजल आपूर्ति व्यवस्था में ट्रैक्टर,टैंकर संचालन/मरम्मत में व्यय के भुगतान पर नियमानुसार उपयोग की जायेगी। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय।

4. उक्त धनराशि का व्यय शासनादेश दिनांक 31 जुलाई, 2007 के साथ संलग्न भारत सरकार की गाइड लाइन्स में निर्धारित एवं अर्ह मानकों मदों के अनुसार ही किया जायेगा।

5. वर्ष 2011–12 में दैवी आपदा मद में वितरण 31 मार्च, 2012 तक कर लिया जाय तथा नियमानुसार उपभोग प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाय। आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिशिचित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

6. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या–1693/1–11–2005–रा0–11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट पर **http/rahat.up.nic.in** पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया

421 Awantan Yadav Ji

जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उन्हें दिनांक 31 मार्च, 2012 से पूर्व शासन को समर्पित कर दिया जाय।

7. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या–42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

8. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(के0के0 सिन्हा)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्याः 709 (1)/1–10–2011–33(431)/11, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–महालेखाकार– प्रथम/आडिट प्रथम, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2–मण्डलायुक्त, विन्ध्याचल, मिर्जापुर।
3–वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,एन0आई0सी0, योजना भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसे राहत की बेवसाइट http/rahat.up.nic.in पर अपलोड कराना सुनिश्ति करे।
4–वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी,कार्यालय राहत आयुक्त संगठन।
5–वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, सोनभद्र।
6–वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5 ।
7–समीक्षा अधिकारी (लेखा), राजस्व अनुभाग–10/राजस्व अनुभाग–6/11/ राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
8–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

30/3/12

(राजेन्द्र प्रसाद)
अनु सचिव।

422 Awantan Yadav Ji